5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

विलोपित

435

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 ।/निगरानी/मुरैना/भू0रा0/2018/

निगरानी – 5812/2018/मुरैना/भू.रा.

श्री .... शर्मा अभिभाषक
द्वारा आज दि0 24/9/18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 3/10/18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 24/9/18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1–रामप्रकाश पुत्र तुलसीराम

2–श्रीकृष्ण पुत्र तुलसीराम

जति ब्राहम्ण निवासी लालौर खुर्द हाल निवासी दत्तपुरा मुरैना म0 प्र0

............................आवेदक

बनाम

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय मुरैना.........................अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 24/01/2018

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय

मुरैना के प्र0क0 128/17–18 xअ 2 (59) निगरानी

अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम लालौर तहसील व जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 2290/1 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा 28093 वर्ग फीट के आवेदक भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीक्षक व्यपर्वतन शाखा के असत्य प्रतिवेदन के आधार पर विवादित भूमि को व्यवसाय प्रयोजन की मान्य कर बाजारू मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से 2,10,135/– एवं वार्षिक भू0 रा0 का पुर्ननिर्धारण बाजारू मूल्य का 4 प्रतिशत की दर से रू0 42027/वर्ष 14–15 से कायम कर बाजारू मूल्य का 2 प्रतिशत की दर से 2,10,135 /– रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित अबैध व मनमाने आधार पर कर दिया। जिससे दुखित होकर यह निगरानी उक्त आधारों के अलावा निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

3

निगरानी के आधार–

XXIX(a)-BR(H)-11

435

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5812/2018/मुरैना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	